राजस्व प्रार्थना पत्र 121/2020
सीसीएमएसम नंबर 2020/00311
कानाराम बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 121/2020

प्रार्थी–

1. कानाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट
निवासी– कठौती, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :– ....

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी में मौजा कठौती के खाता संख्या 103 के खसरा नंबर 2402/869 रकबा 1.9911 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 856/2066 रकबा 0.8094 हैक्टेयर दर्ज है जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 2402/869 रकबा 1.9911 हैक्टेयर की तरमीम तो मौके पर काबिज अनुरूप है जो वर्षो से काश्त करसण कर रहा है लेकिन खसरा नंबर 856/2066 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति से भिन्न स्थान पर हो गई है जबकि वास्तविक काश्त एवं करसण खसरा नंबर 2402/869 के चिपते ही उतर दिशा में माफिक नजरीनक्शानुसार किया जाकर उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार तहसीलदार जायल ने जवाब जरिये पत्रांक 2021/4134 दिनांक 18.10.2021 को मय हल्का पटवारी कठौती की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी कानाराम के खेत खसरा नंबर 856/2066 रकबा 0.8094 की खातेदारी की तरमीम की स्थिति सलंग्न की गई मौका रिपोर्ट नजरीनक्शानुसार है जिसमें प्रार्थी के खसरा नंबर 2402/869 जो स्वयं के खातेदारी का खेत है उसके उपर डोटेड लाईन द्वारा प्रदर्शित स्थान पर प्रार्थी का कब्जा बताया गया है।

11/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में रेकर्ड की वर्तमान की स्थिति तथा वास्तविक कब्जा व सही स्थिति का नजरीनक्शा पेश किया तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 103 प्रस्तुत की। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा राजपेरोकार द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कठौती के खतौनी सं. 103 में अंकित खसरा नं. 856/2066 रकबा 0.08094 हैक्टेयर की तरमीम जो राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति से भिन्न होने पर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने खेत खसरा नंबर 2402/869 रकबा 1.9911 हैक्टेयर की तरमीम तो मौके पर काबिज अनुरूप है तथा जो वर्षो से काश्त करसण कर रहा है लेकिन खसरा नंबर 856/2066 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति से भिन्न स्थान पर हो गई है जबकि वास्तविक काश्त एवं करसण खसरा नंबर 2402/869 के चिपते ही उतर दिशा में माफिक नजरीनक्शानुसार किया जाकर उसमें सुधार करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 की रिपोर्ट में उक्त के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तरमीम वास्तविक मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड में कैसे भिन्न हो गई है। तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत साक्ष्य सबूतादि से यह भी साबित नहीं हो रहा है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 856/2066 की तरमीम किस आधार पर लट्ठा नक्शा में दर्ज की गई है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट–1956 के तहत पोषणीय नहीं होने तथा साक्ष्य सबूतादि के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: :आदेशः : –

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956के तहत पोषणीय नहीं होने तथा प्रार्थी के पक्ष में सम्पुष्ट नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

यह आदेश आज दिनांक 11/01/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

11/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner